

आदेश की
तिथि

हस्ताक्षरयुक्त आदेश

कार्यालय
अभ्युक्ति

वाद संख्या-04/2024


29.04.2024

अभिलेख उपस्थापित।


इस वाद की सुनवाई 19.04.2024 को गोड्डा के Circuit House में निर्धारित की गई थी। लेकिन वैधानिक कारणों से सुनवाई स्थगित कर दी गई। तत्पश्चात् जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा ने आयोग को लिखित प्रतिवेदन के माध्यम से ये बताया है कि श्रीमती सरीता देवी का नाम उनके मायके प्रखण्ड-मेहरमा में राशनकार्ड संख्या-202000978546 में भी पाया गया। अतः ससुराल के राशनकार्ड सं0-202800441340 प्रखण्ड-ठाकुरगंगटी, जिला-गोड्डा में biometric उठाव नहीं हो पा रहा है। चूँकि लाभुक दो जगह राशनकार्ड में नाम रखी हैं एवं लगातार मेहरमा से राशन का उठाव कर रही हैं। अतः उन्हें यहाँ राशन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

आयोग ने आज शिकायतकर्ता के संबंधी को टेलिफोन पर ये बताया कि पहले वो अपने मायके में दर्ज राशनकार्ड से अपना नाम delete करायें उसके बाद ही उन्हें उनके ससुराल में राशन उठाने की वैधानिक अनुमति दी जायेगी। इस निदेश के साथ आयोग इस वाद को निष्पादित करता है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजें।


(शबनम परवीन)

सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।


(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।